



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21042026-271950
CG-DL-E-21042026-271950

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1905]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 20, 2026/चैत्र 30, 1948

No. 1905]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 20, 2026/CHAITRA 30, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2026

का.आ. 1976(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सक्षम प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), वाराणसी, जनपद-वाराणसी (कि.मी. 0.00 से 11.450 कि.मी.), सक्षम प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी (वि0रा0), चन्दौली, जनपद-चन्दौली (कि.मी. 11.450 से 18.100 कि.मी.) को उत्तर प्रदेश राज्य में नीचे दी गई अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग, वाराणसी शहर की भीड़भाड़ कम करने के लिए, गंगा नदी के किनारे रिवरबैंक कनेक्टिविटी के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग-19 (एनएच-19) एवं वाराणसी रिंग रोड के बीच लिंक/कनेक्टर कॉरिडोर के विकास हेतु, विस्तृत परियोजना के डिजाइन चैनज कि.मी. 0.000 से कि.मी. 18.100 तक के भू-खंड का निर्माण (दो/चार लेन का बनाना/चौड़ीकरण एवं बायपास आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन तथा संचालन के संबंध में उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारियों के कृत्यों का पालन करने के लिए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से सक्षम प्राधिकारी के रूप में अधिकृत करती है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग, वाराणसी शहर की भीड़भाड़ कम करने के लिए, गंगा नदी के किनारे रिवरबैंक कनेक्टिविटी के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग-19 (एनएच-19) एवं वाराणसी रिंग रोड के बीच लिंक/कनेक्टर कॉरिडोर के विकास हेतु, विस्तृत परियोजना के डिजाइन चेनज कि.मी. 11.45 से कि.मी. 18.100 तक की बाबत भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	सक्षम प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी (वि/रा0), चन्दौली	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या No Yet to be Assigned के कि.मी 11.45 से कि.मी 18.1 तक	उत्तर प्रदेश	चन्दौली	पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर (मुगलसराय)	1 चौरहट

[फा. सं. NHAI/11015/LA-Notifi./Ganganadi/PIU-Varanasi]
शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th April, 2026

S.O. 1976(E).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorises the ADM(E), Dist.-Varanasi (K. m. 0.00 to 11.450 K.m.) and ADM(F&R), Dist.-Chandauli (K. m. 11.450 to 18.100 K.m.), as the competent authority to perform the functions of such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Design Chainage Km 0+000 to Km 18+100 of the National Highway Development of a Link/Connector Corridor connecting the National Highway-31 (NH-31), Varanasi Ring Road and the New National Highway along the River Ganga for Decongestion of Varanasi City for building (widening / two/four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of (Ganga River Elevated Corridor) as specified in the Schedule given below.

SCHEDULE

Acquisition of land in respect of National Highway Development of a Link/Connector Corridor connecting the National Highway-31 (NH-31), Varanasi Ring Road and the New National Highway along the River Ganga for Decongestion of Varanasi City (Ganga River Elevated Corridor) on the stretch from (Design Chainage Km 0+000 to Km 18+100) in the State Uttar Pradesh.

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	C A / A D M (F/R) Chandauli.	No Yet to be Assigned KM 11.45 TO KM 18.1	UTTAR PRADESH	CHANDAULI	Pandit Dindayal Upadhyay Nagar (Mugalsarai)	1 Chaurhat

[F. No. NHAI/11015/LA-Notifi./Ganganadi/PIU-Varanasi]
SHAIKH AMINKHAN, Director